

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक- फरवरी 01,2021

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 196 वाहनों का चालान, 09 वाहनों से कुल 9900/- रूपया शमन शुल्क वसूल किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 22 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल- 02 अभि0गण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब व 56 शीशी नेपाली शराब बरामद की गयी।

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त विजय कुमार जायसवाल पुत्र सुरेन्द्र नि0 सतगुरु थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 38/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त राजकुमार पुत्र बल्ली साहनी नि0 विशुनपुरा थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 17 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 14/21 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. सुनील कुमार पुत्र भोला प्रसद नि0 हरेडीह थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 13 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 49/21 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

2. चमन शेख पुत्र विस्मिल्लाह नि0 मिश्रौलिया थाना चौक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 16 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 50/21 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त शनिदेव उर्फ कान्हा पुत्र देवदत्त हरिजन नि0 लक्ष्मीपुर थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 13 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 49/21 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

पशू क्रूरता अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना बरगदवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त. फिरोज पुत्र कोईल फकीर सा0 बगौली रुपनदेही नेपाल महाराजगंज के द्वारा 03 अदद भैंस व 04 अदद पड़वा को मारते – पीटते हुए ले जाना पर इनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 18/21 धारा-11 पशू क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण,

1. विरेन्द्र पुत्र रामजतन सा0 माधवपुर
2. जुगनू पुत्र जमालुद्दीन सा0 सुमेरगढ़
3. जयप्रकाश पुत्र श्यामराज यादव नि0 पुरैना
4. इम्तियाज पुत्र तरबुद्दीन सा0 सुमेरगढ़
5. रंजीत पुत्र रामकिशुन
6. पिंटु पुत्र जयश्री
7. राहुल जायसवाल पुत्र सुभाष नि0गण बसहिया बुजुर्ग
8. रवि सिंह पुत्र रमाशंकर
9. महेन्द्र पुत्र छोटेलाल सिंह
10. नन्हे सिंह पुत्र छोटेलाल
11. संजय पुत्र कलाधर नि0गण माधोपुर थाना श्यामदेउरवा

पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- nil/21 धारा- 3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

12. राजकुमार निषाद पुत्र मुन्नर सा0 बेलास पुर नर्सरी थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज को जिला बदर होने के उपरान्त भी घर पर मौजूद रहने के कारण थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 2/21 धारा-10 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण,

1. पुजारी पुत्र भुल्लार
2. मंगरु पुत्र प्रभु नि0गण पुरन्दरपुर थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज

के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- nil/21 धारा- 3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण,

1. मोनू पुत्र हरिद्वार सा0 गनेशपुर
2. श्रवण पुत्र अमरजीत सा0 उसरहवा वनटंगिया
3. मिथिलेश पुत्र सुभाष
4. सुरज पुत्र कलाधर

नि0गण पतरेगवा थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- nil/21 धारा- 3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

* विवेचनाओं का निस्तारण-* पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-14 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 31/01-02-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 29 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।